eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

लैंगिक भेदभाव एवं महिला सशक्तीकरण– एक समीक्षा

[1]डा0 अवनीश कुमार गौतम
[2]डा0 माया भारती
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, कांट, शाहजहांपुर उ0प्र0
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय रजा स्ना0 महाविद्यालय, रामपुर उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

लैंगिक भेदभाव का विषय बीसवीं सदी में राजनीति के क्षेत्र में एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। जिसमें खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक नारीवादी महिलाएं या महिला अधिकारों के समर्थक आगे आए जिन्होंने न केवल महिलाओं के अधिकारों बल्कि उनके साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध एक आंदोलन का रूप दिया। लैंगिक भेदभाव का आशय सामान्य रूप से स्त्री–पुरुष लिंग के आधार पर भेदभाव करना है। आज भी हमारे समाज में पुत्र और पुत्री में फर्क साफ देखा जा सकता है। जैसे कि घर की लड़कियों को घरेलू काम में लगाना तथा उन्हें बेटे की अपेक्षा कम अच्छे स्कूलों में पढ़ाना या न पढ़ाना तथा लड़कियों को दब्बू एवं शर्मीली बनाना एवं पुत्र को उदंड एवं तेज बनाना, पुत्रियों पर कम पैसा खर्च करना एवं पुत्र पर अधिक पैसा खर्च करना शामिल है। हालांकि जैसे–जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है तथा सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं यह भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं जिससे भेदभाव की खाई भी कम होती चली जा रही है। प्रत्येक समाज को चाहिए कि एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। क्योंकि समाज गाड़ी के ऐसे दो पहियों के समान है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही इसके निर्माण में अहम योगदान होता है ऐसे में यदि नारी रूपी पहिया कमजोर हो या कमजोर कर दिया जाए तब निश्चित ही समाज रूपी गाड़ी नहीं चल सकेगी। इसलिए एक सभ्य समाज को चाहिए कि महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर कोई भी भेदभाव न हो उन्हें हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार एवं अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने हेतु अनुच्छेद–14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता एवं अनुच्छेद–15 के अन्तर्गत महिलाओं एवं शोषित वर्गों की गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक समानता, अनुच्छेद –16 सरकारी नौकरी प्राप्त करने में समानता, अनुच्छेद– 39 समान कार्य के लिए समान वेतन को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष उपबंध हेतु निर्देश देता है। इसी तरह अनुच्छेद– 42 में काम की न्याय संगत व्याख्या एवं मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने तथा स्त्री प्रसूति सहायता के संबंध में उपबंध किया गया है।

शब्द संक्षेप– बीसवीं सदी की राजनीति, लैंगिक भेदभाव, महिला अधिकार एवं महिला सशक्तीकरण।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

Introduction

प्राचीन काल से अब तक, इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं की दशा बदलती रही है। आदिकाल में आदिमानवों का समाज झुण्ड में रहता था इस झुण्ड में कुछ स्त्री– पुरूष तथा बच्चे होते थे वे फल–फूल तथा शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। बारिश तथा धूप से बचने के लिये वे गुफाओं में रहते थे स्त्री–पुरूष सम्बन्ध स्वच्छन्द थे। धीरे धीरे मानव ने गुफा छोड़कर घर बनाना सीख लिया जिससे घुमन्तू मानव एक जगह होकर रहने लगे और बस्तियॉ बसने लगी। गृह प्रबन्धन पूरी तरह स्त्रियों के हाथ में था पुरूष सैनिक की भॉति अपने घर की रक्षा करते थे। सभ्य होते होते मनुष्य में महत्वाकॉक्षा के साथ ही प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ने लगी। खेती ने दोनों के जीवन को स्थिरता दी जिससे खाना–बदोश जीवन का अन्त हुआ। कृषि, सम्पत्ति एवं उस पर अधिकार की भावना विकसित हुई। वैदिक काल में वेदों में स्त्रियों का उल्लेख सम्मानजनक ढंग से किया गया है। इसी काल में अपाला, लोपामुद्रा, रोमसा आदि विदुषी महिलाओं की चर्चा होती है। बौद्धकाल में भगवान बुद्ध ने संघ में जातिवाद एवं लिंग भेद को कोई स्थान नहीं दिया। उनकी नजर में सभी बराबर थे मौर्यकाल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। गुप्तकाल में कामोवेश यही स्थिति बनी रही, इस युग में देवदासी नगरवधु बिना विवाह किये स्त्री को रक्षिता बनाकर रखने का प्रचलन बढ़ा।

सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रकृिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते है। इसका मतलब केवल संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण नहीं है बल्कि इसका आत्मविश्वास में वृद्धि और पुरूषों के साथ बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता से भी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरूष समाज महिलाओं के बारे में होने वाले भेदभाव से जागरूक बने। सशक्तिकरण सर्वांगीण बहुआयामी दृष्टिकोण है। इसका सम्बन्ध राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी से है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसतापूर्ण विकास तभी सम्भव है जब महिलाओं को उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए, उन्हें पुरुषों के साथ साथ विकास की सहभागी माना जाये। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनीतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं, अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं और अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं।

प्रारम्भ से ही महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर एवं निर्बल समझा जाता रहा है स्त्रियों को घरेलू काम में लगाया जाता है जिसके कारण वह घर की चराहदीवारी में बंद होकर रह गई। मानव विकास के साथ ही उन्हें निर्बल समझते हुए समाज के द्वारा अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। समय बीतने के साथ ही स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती चली गई। उनकी प्रगति के सभी रास्ते उनके लिए बंद ही रहे। केवल पुरुषवादी सोच के चलते घर के बेटों की ही तालीम पर बल दिया गया, उन्हें व्यापार इत्यादि में लगाया गया तथा महिलाओं को इससे नजरअंदाज किया गया। जिससे महिलाएं शैक्षणिक एवं आर्थिक दोनों ही तरह से वह पुरुषवादी समाज में पिछड़ गई। ज्यादातर जगहों पर पितृसत्तात्मक परिवार देखने को मिले, जिससे महिलाएं परिवार का मुखिया होने से भी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

वंचित रह गई, उन्हें परिवार एवं समाज में उचित सम्मान एवं पद प्राप्त न हो सका। वर्तमान में जो महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देख रहे हैं वह हाल ही के वर्षों का नतीजा है। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार का बीड़ा राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू एवं महात्मा गांधी जी जैसे विचारकों ने उठाया। आजादी के बाद डॉ0 बी0 आर0 अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, यही नहीं डॉ0 अंबेडकर जी के द्वारा ''हिंदू मैरिज एक्ट'' को 1948 में लाया गया, जिसमें बाद में 1955 में सरकार द्वारा संशोधित करके संसद से पास किया गया और कानून का रूप धारण किया। स्वतंत्र भारत में अनेक महिलाओं ने अपनी सफलता का परचम लहराया है अब महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी कार्य क्षेत्र में पीछे नहीं है। यह सब वर्षों से चले आ रहे महिला संघर्ष एवं हाल ही के वर्षों में अपनाये गये महिला सशक्तिकरण का ही नतीजा है अतः भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं उनके सम्बन्ध में हुए सकारात्मक परिवर्तनों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना अति आवश्यक है।

साहित्य समीक्षा– प्राचीन समय में महिलाओं की दशा समाज में ठीक नहीं थी, उस समय महिलाओं को 'वस्तु मात्र' समझा जाता था। महिलायें का कार्य केवल घर की चार–दीवारी तक ही सीमित था, महिलायें काम वासना की वस्तु मात्र समझी जाती थी। यहॉ तक कि जो पाश्चात्य राजनीतिक जिसमें प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक हुए इन्होंने अपने लेखों में महिलाओं को राजसत्ता में उच्च स्थान नहीं दिया। भारतीय राजनीतिक विचारकों जिसमें मनु, कौटिल्य आदि ने भी स्त्रियों को नजरअन्दाज किया। यदि हम पश्चात् विचारको को देखे, तो उसमें प्लेटो ने अपने परिवार विषयक साम्यवाद में लिखा है कि ''स्त्रियॉ सबकी समान रूप से पत्नियॉ होगी, और इनसे उत्पन्न सन्तानें समान रूप से सबकी होगी''।[1] यदि हम प्लेटो के शिष्य अरस्तू को देंखे तो उन्होंने भी पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थन किया है। अरस्तू का मानना है–कि ''पुरूष स्त्री की अपेक्षा अधिक गुणवान एवं समर्थ होने के कारण परिवार पर पूर्णतः नियंत्रण रख सकता है''।[2] इसी प्रकार यदि हम भारतीय इतिहास को उठाकर देखें आचार्य मनु ने महिलाओं को पुरूषों के आधीन रहने की सलाह दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक ''मनु स्मृति'' में लिखा गया है कि ''नारी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं''। वहीं दूसरी ओर वैदिक साहित्य में कहा गया है, कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तें, रमन्ते तत्र देवता''। अर्थात् वैदिक युग में नारियों को पुरूषों के समान ही उचित स्थान दिया जाता था।

18वीं सदी में मैरी वोल्सटन क्राफ्ट एवं हैरियट टेलर ने महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई।[3] मैरी वोल्सटन क्राफ्ट को उनकी पुस्तक "A Vindication of the rites of women, 1792" के लिए जाना जाता है। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने तर्क दिया है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरूषों से कम नहीं हैं वह शिक्षा की कमी के कारण ऐसी दिखती हैं। उनका सुझाव है कि पुरूषों और महिलाओं दोनों को ही तर्क संगत प्राणी माना जाना चाहिए और तर्क पर आधारित

[1] Plato, Republic, p. no. 133
[2] सिंहल, एस0 सी0– पश्पात्य राजनीतिक चिन्तन, 2007 पृष्ठ सं0 83
[3] गाबा, ओ0पी0, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, 2010, पृष्ठ सं0 186

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए।[4] इसी प्रकार जे0 एस0 मिल वह पहला विचारक था जिसने अपनी पुस्तक "The Subjection of the Women- 1869" में महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। उसने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ''राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में लिंग के आधार पर भेदभाव करना वैसा ही अप्रासंगिक मानता हूँ, जैसा कि बालों के रंग के आधार पर'' अगर भेदभाव करना ही है तो महिलाओं को पुरूषों की तुलना में मताधिकार की अत्यधिक आवश्यकता है''।[5] स्त्रियॉ शारीरिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए विधि समाज पर अत्यधिक निर्भर रहती है। इसलिए महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा और अधिक अधिकार देने की जरूरत है।[6] न्यूजीलैण्ड विश्व का पहला देश था जिसनें 1893 ई0 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। इसी प्रकार से अमेरिका में 1919, ब्रिटेन में 1928 में तथा भारत में 1950 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया।

लैंगिक भेदभाव– लैंगिक भेदभाव /लैंगिक असमानता का तात्पर्य लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से है। शुरू से ही महिलाओं को समाज में पुरुषों की अपेक्षा कमतर आंका गया है। या महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे अपने घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेद–भाव की शिकार होती हैं। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के उदाहरण लगभग हर जगह देखे जा सकते हैं।

यह एक प्रकार से बालक एवं बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर विभेद किया जाता है जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा एवं पालन–पोषण में बालकों से कम रखा जाता है जिससे वे पिछड़ जाती हैं। यही लैंगिक विभेद है क्योंकि बालिकाओं एवं बालकों में यह विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है प्राचीन काल से ही बालकों को श्रेष्ठ, कुल का दीपक, कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला माना जाता रहा है। जिसके कारण बालिकाओं की उपेक्षा होती रही है। इस प्रकार प्राचीन मान्यताओं, सामाजिक कुप्रथाओं आदि के कारण लिंग के आधार पर किया जाने वाला विभेदभाव लैंगिक भेदभाव कहलाता है।

ऑक्सफैम (Oxfam) रिर्पोट, 2023 – ऑक्सफैम 21 स्वतंत्र संगठनों का एक परिसंघ ''ऑक्सफैम इंटरनेशनल'' नाम की संस्था के नेतृत्व में स्थापित हुआ। 1942 में. अपनी वेबसाइट पर इस संस्था ने लिखा कि ऑक्सफैम एक वैश्विक आंदोलन है, जो गरीबी और अन्याय को खत्म करने के लिए गैर–बराबरी के खिलाफ है, ये संस्था सालाना असमानता, बेरोजगारी और गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी करती है वर्ष 2023 की 'इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022' नाम से प्रकाशित हुई है। ऑक्सफैम (Oxfam) रिर्पोट में पाया गया है कि भारत के गांवों में महिला को महिला होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में रोजगार में 100 फीसदी भेदभाव (Gender Discrimination) का सामना करना पड़ता है। वहीं पर शहरों में यह भेदभाव मात्र 2 फीसदी कम अर्थात् 98 प्रतिशत है। रिर्पोट के मुताबिक एक जैसी शिक्षा और अनुभव होने के बावजूद स्वरोजगार के अन्तर्गत पुरूष महिलाओं

[4] Wollston craft, Mary, A Vindication of the rites of women, 1792
[5] Mill,J.S., Tht subjection of women, 1869 पृष्ठ सं0 97

[6] Sharma, P.D.: History of western political thoughts (Plato to marx), Jaipur p.no. 446

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

से 2.5 गुना अधिक कमाते हैं। जिसकी वजह सामाजिक ढर्रा और नियोक्ताओं के पूर्वाग्रह हैं। इसी रिर्पोट के आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं का वेतन पुरुषों की तुलना में 67 प्रतिशत कम है, यानी अगर पुरुषों को किसी काम के बदले में 100 रुपये मिलते हैं तो महिलाओं को उसी काम को करने के बदले में 33 रुपये ही मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव इस कदर है कि धर्म और जाति का भेद भी पीछे छूट जाता है, महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव होता ही है।[7]

विश्व इकोनॉमिक फोरम की रिर्पोट ''Global Gender Gap Index–2023'' के अनुसार लैंगिक भेदभाव में भारत 146 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है। जबकि 2022 में यह 135वॉ स्थान था जोकि कुछ हद तक पिछले साल की तुलना में सुधार की ओर संकेत करता है। जहॉ 2023 के दौरान भारतीय संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14.72 फीसदी है वहीं स्थानीय सरकार में उनकी हिस्सेदारी 44.4 फीसदी दर्ज की गई। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्रपति के रूप एक महिला का चुनाव महिला सशक्तीकरण की गाथा का एक अंश है। जो दर्शाता है कि समाज जागरूक हो रहा है। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काफी कुछ किया जाना बाकी है। इसी तरह यदि शिक्षा की बात करें तो जहां 2022 में केवल 24.9 फीसदी महिलाओं ने माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा हासिल की थी वहीं पुरुषों में यह आंकड़ा 38.6 फीसदी दर्ज किया गया। इसी तरह विवाहित महिलाओं या जिनका छह वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उनकी श्रम बल में भागीदारी 27. 1 फीसदी दर्ज की गई। इसी तरह 2018 में करीब 18 फीसदी महिलाएं और लड़कियां अपने साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार बनी थी। इसी तरह 2012 से 2022 के बीच 43.53 फीसदी युवा बच्चियां शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से वंचित रह गई थी।[8]

महिला सशक्तिकरण– महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने से है जिससे कि वह खुद अपने निर्णय ले सके या वह स्वतंत्र रूप से निर्णयन में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सके। वह आर्थिक रूप से पुरुषों के समान सशक्त हो। उनके रोजगार अथवा नौकरी में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। साथ ही लिंग के आधार पर उनके साथ वेतन–भत्ते इत्यादि में आर्थिक भेदभाव न किया जाए जिससे कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसके साथ ही राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं को इतना सशक्त बनाना है कि वह शासन सत्ता में पहुंचकर उसमें अपना अहम योगदान दे सकें। महिलाएं पुरुषों के समान ही देश के महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित हों।

वर्ष 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को शैक्षिक बनाना था सरकार का यह एक सराहनीय तथा प्रशंसनीय प्रयास था। भारत में बालिकाओं की संख्या घट रही है लिंगानुपात की दृष्टि से महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में निरन्तर घटती जा रही हैं अतः कन्या भ्रूण हत्या पर कारगर नियन्त्रण हेतु कानूनी पहल की गयी, इस सम्बन्ध में कानून की धाराएं 312–318 तक हैं,

[7] Oxfam, India Discrimination Report, 2022
[8] Global Gender Gap Index, 2023

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

प्रसव–पूर्व तकनीक निवारण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत कन्याभ्रूण हत्या एक गैर–जमानती अपराध है तथा कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

भारत में दहेज लेना और देना तथा दहेज हत्या दण्डनीय अपराध है, ''दहेज प्रतिरोध अधिनियम'' सन् 1961 से ही लागू हैं, जिसकी धारायें 304 (ख) तथा 498 (क) ऐसे अपराधों के विरूद्ध दण्ड प्रदान करती है।[9] देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा के निवारण हेतु सरकार द्वारा ''घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005'' कानून के रूप में लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को समुचित न्याय प्रदान करने का प्रावधान है। जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता है।

भारत में कार्यक्षेत्र में वेतन के भुगतान में व्यापक लिंग भेद अब भी बना हुआ है। महिलाओं को भी पुरूषों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। भारत में समान वेतन अधिनियम 1976 की धारा 4 व 5 के अनुसार एक ही स्थान पर एक–सा–काम करने वाली महिला को भी पुरूष को देय वेतन के समान ही वेतन देने का प्रावधान है'' इस तरह वेतन लिंग के आधार पर वितरित करना गैर–कानूनी है।[10]

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने हेतु अनुच्छेद–14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता एवं अनुच्छेद–15 के अन्तर्गत महिलाओं एवं शोषित वर्गों की गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक समानता, अनुच्छेद –16 सरकारी नौकरी प्राप्त करने में समानता, अनुच्छेद– 39 समान कार्य के लिए समान वेतन को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष उपबंध हेतु निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद– 42 में काम की न्याय संगत व्याख्या एवं मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने तथा स्त्री प्रसूति सहायता के संबंध में उपबंध किया गया है।[11]

भारत में संविधान संशोधन 73वें एवं 74वें के द्वारा स्थानीय स्वशासन का उपबन्ध किया गया है। जिसमें राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु पंचायती राज प्रणाली के अन्तर्गत 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये है।[12] इसी कारण आज भारत में महिलाओं की स्थानीय स्वशासन में भागीदारी में वृद्धि हुई है। महिलाओं की स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुये ही 1992 को ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' का गठन किया गया। महिलाओं के सम्मान के लिए 8 मार्च को ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' एवं 12 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस एवं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् 2008 को ''राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष'' के रूप में मनाया गया।

साथ ही महिलाओं को राज्यों की विधायिकाओं एवं संसद में आरक्षण का कानून भी पास कराने हेतु संसद में लंबित है। इसके साथ ही ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013'' के अन्तर्गत पितृसत्तात्मक सत्ता के स्थान पर मातृसत्तात्मक सत्ता को बढ़ावा देने के लिए परिवार की महिला को

[9] Dowry act, 1961
[10] Shukla,Manju, women literacy and Empowerment, 2011
[11] Upadhaya, J.J.R., Constitution of India, 2021 p.no. 5-22
[12] बसु, डी0 डी0,भारत का संविधान,D.D., , 2010 पृष्ठ सं0 283

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

राशन कार्ड में मुखिया बनाया गया है। जिससे कि परिवार में उनके मान– सम्मान में वृद्धि हो। गरीब तबके की महिलाओं को ''उज्जवला योजना'' का लाभ, बालिकाओं के लिए ''सुकन्या समृद्धि योजना'' लागू है। इसके साथ ही वर्तमान की केंद्रीय सरकार के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए अभी हाल ही में तीन तलाक विरोधी कानून को संसद से पास करा कर पूरे देश में लागू किया गया है। जिससे मुस्लिम महिलाओं को उनके पारिवारिक सम्बन्धों में स्थिरता मिलें। भारत में आजादी के पश्चात् संविधान का निर्माण किया गया जिसमें महिलाओं को विशेषकर मौलिक अधिकारों में उन्हें सुरक्षा की गारण्टी एवं अधिकार दिये गये हैं। साथ ही भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर अनेक कानून एवं अधिनियम बना कर महिलाओं को और अधिक सुरक्षा दी गई है तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक संस्थान में महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

आज हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हुआ हैं वह वर्षों से चले आ रहे महिला संघर्ष का नतीजा है। यहॉ तक कि 19वीं शताब्दी के अन्त तक विश्व के किसी भी देश चाहें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, एवं रूस जैसे देशों में भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। मत देने का अधिकार महिलाओं को 20वीं सदी में प्राप्त हुआ। आज अधिकॉश देशों में महिलाओं को पुरूषों के समान ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु अभी भी इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को ऐसा वातावरण दिया जाये कि वे भी पुरूषों के समान बिना किसी भेद–भाव के निःसंकोच रूप से प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें।

जहॉ पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या 22 थी जोकि कुल सदन संख्या की मात्र 4.4 प्रतिशत थी वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 हैं जोकि कुल सदन संख्या का 14.3 प्रतिशत है। साथ ही राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या 25 हो गयी है वहीं स्थानीय सरकार में उनकी हिस्सेदारी 44.4 फीसदी दर्ज की गई। जो कि इस बात का प्रमाण है कि महिलायें राजनीतिक क्षेत्र में आज बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और अपनी सफलता का परचम लहरा रहीं हैं। परन्तु इसमें अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। अभी भी हमारे देश में पुरूषवादी सोच है। जिसके चलते संसद में ''महिला आरक्षण विधेयक'' जो प्रथम बार 1996 में पेश हुआ था लगभग 25 वर्षो से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद संसद में विरोध के चलते अभी तक कानून का रूप नहीं ले पाया है।[13]

शोध विधि– उपरोक्त शोध पत्र में ऐतिहासिक विश्लेषण, वर्णनात्मक एवं गुणात्मक शोध विधिओं का प्रयोग हुआ है। प्राप्त स्त्रोतों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुॅचने का प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष– भारत में आजादी के बाद से ही महिलाओं को निरन्तर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये जाते रहे हैं। वर्तमान में पहले जैसी परिस्थितियॉ नहीं रही, अब स्त्रियों को भी पुरूषों की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। स्त्रियों ने भी पुरूषों की तरह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अपने आपको श्रेष्ठ साबित किया है। समय बीतने के साथ ही हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव में कमी आयी है। परन्तु रोजगाार के क्षेत्र जो महिलाओं की कम भागीदारी है, उसमें सरकार

[13] अवस्थी, ए0पी0– भारतीय शासन एवं राजनीति, 2013, पृष्ठ सं0 721

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

को और अधिक ठोस कदम उठाना चाहिए, साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अब समाज में काफी हद तक बेटा और बेटी में अन्तर कम हुआ है। यह सब वर्षों के महिला संघर्ष का नतीजा है यही कारण है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गॉधी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, निवर्तमान महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मूर्मू, कॉग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गॉधी, प्रथम लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, ममता बनर्जी एवं बहन कुमारी मायावती जैसी महिलायें उच्च पदों पर सुशोभित हुयी हैं। जिन्होंने भारत में ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। अन्त में निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारत में लैंगिक भेदभाव में समय बीतने के साथ कमी आयी है और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है।

आभार– इस शोघ पत्र के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो0 राजकुमार सिंह एवं शोध निर्देशक प्रो0 रिपु सूदन सिंह का आभार प्रकट करता हूॅ जिन्होंने इस शोध पत्र को पूरा करने में हर सम्भव मदद की।

References-

1. Wollston craft, Mary, A Vindication of the rites of women, 1796
2. Plato, Republic, p. no. 133
3. सिंहल, एस0 सी0– पश्पात्य राजनीतिक चिन्तन, 2007 पृष्ठ सं0 83
4. गाबा, ओ0पी0, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, 2010, पृष्ठ सं0 186
5. Mill,J.S., Tht subjection of women, p no. 97
6. Sharma, P.D.: History of western political thoughts (Plato to marx), Jaipur p.no. 446
7. Oxfam, India Discrimination Report, 2022
8. Global Gender Gap Index–2023
9. Dowry act, 1961
10. Shukla,Manju, women literacy and Empowerment, 2011
11. Upadhaya, J.J.R., Constitution of India, 2021 p.no. 5-22
12. बसु, डी0 डी0,भारत का संविधान, 2010 पृष्ठ सं0 283
13. अवस्थी, ए0 पी0– भारतीय शासन एवं राजनीति, 2013, पृष्ठ सं0 721
14. Kalpagan, U., Neoliberalism and women India, 2019
15. Arya, R.K., Mahila Sashaktikaran Aur Bharat, 2020
16. Macmillan, P.,Gender Equality in the Workplace, 2019